रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 529] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 4, 1985/कार्तिक 13, 1907
No 529] NEW DELHI, MONDAY, NOV. 4, 1985/KARTIKA 13, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कलकत्ता, 4 नवम्बर 1985

का. आ. 806(अ) —पटसन (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1961 के खण्ड 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं बी. आर. दामू, पटसन आयुक्त एतद्द्वारा बी. टबीन्स (एक प्रकार का पटसन वस्त्र) की साइज 112·4 सेंटीमीटर × 67·5 सेंटीमीटर साध्य वजन सिला किनारा 112 सेंटी मीटर × 67·5 सेंटीमीटर सिला, 1020 ग्राम प्रति बोरा, 6×8, 3 नोंच शुल्क सिला है तथा

अन्य दृष्टियों से वर्तमान भा. मा. संख्या भा मा. (2566-1984 अद्यतन संशोधित) के अनुरूप है, अधिकतम कोहिनिर्माणी कीमत 701.99 रुपया प्रति एक सौ बोरा नियत करते हैं । इसी अधिकतम कीमत पर उसका क्रय अथवा विक्रय नवम्बर 1985 महीने के दौरान किया जायेगा ।

इस अधिसूचना के अधीन निश्चित की गई एक भाग कीमत उत्पादन शुल्क उत्पाद शुल्क निर्माण अधिनियम 1983 के अन्तर्गत देय होगी, विक्रय कर जैसा कि बोरा की वास्तविक लागत के अनुसार कोहिनिर्माणी कीमत के अतिरिक्त देना होगा ।

[फा. सं. 8-/1/85 जूट]

बी. आर. बासु, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Calcutta, the 4th November 1985

S.O. 3061(E).—In exercise of the powers conferred by Clause 8 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, I, B. R. Basu, Jute Commissioner, hereby fix Rs. 701.99 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B. Twills (a variety of jute textiles) of the size 112.4 Cms×67.5 Cms Hd. W I P. 112.0 Cms×67.5 Cms Hd. 1020 Cms. per bag 6' 8, blue dry sewn and conforming in all other respects to the current ISI specification (No. IS. 2566—1984 as amended up-to-date) shall be purchased or sold during the month of November, 1985

2. The price fixed under the notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufactures Cess Act, 1983 and sales tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser at actuals.

[F. No. 8/1/85-Jute]

B. R. BASU, Jute Commissioner

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985